

प्रेषक

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. आयुक्त, सभी नगर निगम हरियाणा ।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. कार्यकारी अधिकारी/सचिव,  
सभी नगरपरिषदे/नगरपालिकाएं, हरियाणा राज्य ।

यादि क्रमांक: टी.ए.-1/डी.यू.एल.बी./2013/ २४४९१-१७६

दिनांक: २२/७/२०१३

विषय:- जैन पयुर्षण पर्व 02.09.2013 से 10.09.2013 (9 दिन) तक कल्लखाने बन्द करवाने बारे ।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र यादि क्रमांक: टी.ए.-1/2011/28418, दिनांक 13.07.2011 के सन्दर्भ में ।

इस सम्बन्ध में आपको यह सूचित किया जाता है कि इस वर्ष 2013 के दौरान दिनांक 2.09.2013 से 10.09.2013 (9 दिनों) तक जैन समाज उत्सव आयोजित होगा। अतः अनुरोध है कि सरकार की हिदायतों के दृष्टिकोण में उक्त उत्सव में स्लाटर हाउस बन्द रखने तथा इस अवधि में किसी भी प्रकार के पशुओं को काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखने के लिए संबन्धित को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें।

कार्यकारी अभियन्ता,

कृते: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक: टी.ए.-1/डी.यू.एल.बी./2013/२९९२ दिनांक: २२/७/१३  
इसकी एक प्रति श्री गधेश्याम जैन, मकान नं. 3648, सेक्टर-46/सी,  
चण्डीगढ़ को उनके पत्र दिनांक 4.6.2013 के सन्दर्भ में सूचनाएं भेजी जाती है।

कार्यकारी अभियन्ता,

कृते: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक: टी.ए.-1/डी.यू.एल.बी./2013/२९९ दिनांक: २२/७/१३  
इसकी एक प्रति श्री सुभाष जैन, महासचिव, जैन समुदाय अल्पसंख्यक संघ  
समिति कार्यालय 26, अग्रवाल मण्डी, पार्नापत को सूचनाएं भेजी जाती है।

कार्यकारी अभियन्ता

कृते: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,  
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक: टी.ए.-1/डी.यू.एल.बी./2013/२९९ दिनांक: २२/७/१३  
एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को  
उनके पत्र यादि क्रमांक: 14/232/2012-4क1, दिनांक 19/20.06.2013 के सन्दर्भ में  
सूचनाएं भेजी जाती है।

कार्यकारी अभियन्ता